

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारॉकत प्रश्न ँ :4228  
13 f , 2019 प्रश् त

फिजियोथैरेपी परिषद का गठन

4228. . संजीव कुमार शिंगरो:

- क स्वास्थ्य और परिवार कल्या ं त्र ा ं f
- ( ) क्या सरकार भारत म फिजियोथैरेपी ि ि
- प्रि ;
- ( ) ि , तो ऐसे प्रस्तावां को स्थिति क्या है;
- ( ) यदि नहीं, ि ि क्ष िजियोथैरेपी प्रैक्टि ि
- ि ि द् ं - ;
- ( ) क्या फिजियोथैरेपी स्नातक अपनी नाम पट्टिका म अपने नाम से पूव उपसग
- ;
- ( ) ि , ि ि उपयोग करने के लिए मापदण्ड/शत क्या ?

त

स् स्वास्थ्य और परिवार कल्या ं त्रि (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- ( ) ( ): स् स्वास्थ्य ं वसार्ियां के लिए कोई कद्रीय नियामक िकाय न होने पर इस मंत्रालय ने अनुषंगी स् स्वास्थ्य परिचया व्यवसार्ियां को

एक कद्रीय परिषद का गठन करने का पहल का है और दिनांक 31.12.2018  
 ज सभा म एक एलाइड एण्ड ल केयर प्रोफेशंस बिल, 2018 प्रस्तु ि  
 ि (ि ) फिजियोथैरेपिस्ट सहित 50 से अधिक अनुषंगी  
 स स्थय परिचया व्यवसायां के लिए कद्रीय एवं समान स्तरोय राज्य ि ि  
 गठन के जरिये शिक्षा एवं परिपार्टियां के मानकां के क्ष

( ): केवल कुछेक राज्यां जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, छ प्र , हिमाचल प्रदेश आदि म  
 स स्थय परिचया व्य ि (ि ण  
 ि / -ि ि त परिषद) के विनियमन के लिए सांविधिक तंत्र है।

( ) ( ): ि ि ि न वैकल्पिक दवाओं के प्रभाव/गुणा ि  
 करने तथा इन पर सरकार को अपनी सिफारिश भेजने के लिए कद्र सरकार ने  
 य चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का अध्यक्षता म एक स्था  
 विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने दिए गए विषय पर विभिन्न  
 सिफारिश का थीं तथा यह भी सुझाव दिया था कि " क " ढ प्र  
 सरकार द्वारा मान्य प्र ष औषधियां को पद्धति का उन्नय  
 ः थियां द्वारा हो किया जाना चाहिए। इन सिफारिशां को सरकार द्वारा स्वी  
 ि कायकारो ि 25 ,  
 2003 को जारी किया : क प्र ि  
 औषधियां को एलोपैथक पद्धति, दंत चिकित्सा न -प्राप्त ि र्द्धि  
 ः थियां द्वारा किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*